भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-38

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा

***38. डॉ. विकास महात्मेः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) इस समीक्षा के दौरान कौन-कौन सी कमियों का पता चला है; और

(घ) पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को पुनर्जीवित करने हेतु क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19.12.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : विद्युत मंत्रालय चयनित प्राचलों के आधार पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) के कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। पीएफसी के निष्पादन की समीक्षा के लिए पिछली बैठक 06 दिसंबर, 2017 को हुई थी।

(ख) से (घ) : समीक्षा से यह पता चला है कि ऋण संस्वीकृति और संवितरण 2016-17 में बढ़ा है। तथापि, वर्ष 2016-17 में पीएफसी का वित्तीय निष्पादन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा संस्थापित परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों से प्रभावित हुआ है।

निष्पादन में सुधार हेतु पीएफसी को उपयुक्त उपाय करने के लिए कहा गया है, जिनमें ऋण लागत कम करना एवं बकाया वसूल करना शामिल है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-40

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

***40. डॉ. सत्यनारायण जटियाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, सभी गांवों का विद्युतीकरण करने की समयबद्ध कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में कितने गांवों के सभी घरों में विद्युत पहुंचा दी गई है तथा 'सभी के लिए बिजली' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 19.12.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 40 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे। राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार, 30.11.2017 को इनमें से 15,183 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 1,052 गांव गैर-आवासित पाए गए हैं। सभी शेष गांवों को 01 मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

2011 की जनगणना के अनुसार, 16.78 करोड़ ग्रामीण घरों में से 9.28 करोड़ ग्रामीण घरों में प्रकाश का प्रमुख स्रोत विद्युत था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत, अब तक 2.77 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क कनेक्शन जारी किए गए हैं।

विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी का उत्तरदायित्व है। देश में सभी घरों को विद्युत पहुँचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की है। इस योजना में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तथा शेष सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार डीडीयूजीजेवाई तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढावा देती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-465

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

तेलंगाना में विद्युत उत्पादन का विकास

465. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अभी हाल ही में तेलंगाना के विद्युत मंत्री और संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मंत्री से मुलाकात की थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से तेलंगाना राज्य में विद्युत उत्पादन के विकास में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी नहीं। तेलंगाना के विद्युत मंत्री और कुछ संसद सदस्यों ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से चर्चा की थी। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन का विकास एक लाइसेंसीकृत कार्यकलाप है। तथापि, भारत सरकार केंद्रीय उत्पादन स्टेशन स्थापित करके तथा इस प्रकार के स्टेशनों से राज्यों को विद्युत आबंटित करके राज्यों को सुविधा प्रदान करती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-466

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

आन्ध्र प्रदेश में चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति परियोजना

466. श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना ऋण लिया गया है; और

(घ) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 24X7 विद्युत की सुविधा के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई है। परियोजना की लागत 570 मिलियन अमरीकी डॉलर है जिसमें से डिस्कॉम का अपना निवेश 170 मिलियन अमरीकी डॉलर का होगा और 400 मिलियन अमरीकी डॉलर विश्व बैंक (240 मिलियन अमरीकी डॉलर) से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (160 मिलियन अमरीकी डॉलर) से ऋण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-467

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

रायबरेली में एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्र

467. श्री किरनमय नन्दाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विद्युत संयंत्र की संस्थापना, परीक्षण और शुरुआत के दौरान संपूर्ण विद्युत संयंत्र के पूर्व-संचालन सटीक तकनीकी परीक्षण के अभाव तथा लापरवाही पूर्ण ढंग से गुणवत्ता नियंत्रण के कारण हमने रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एन.टी.पी.सी. में 33 बहुमूल्य जानों को गंवा दिया और कई घायल हो गए;

(ख) क्या सरकार ने जिम्मेदारी और लापरवाही इत्यादि का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(ग) जांच समिति से प्राप्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार की तरफ से एन.टी.पी.सी. संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ करने का दबाव था, जिसके कारण कुछ मूलभूत सुरक्षा मानदंडों की उपेक्षा कर जल्दबाजी की गई?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, नहीं। रायबरेली में एनटीपीसी में 500 मेगावाट यूनिट-VI दिनांक 31.03.2017 को सिंक्रोनाइज किया गया था। यूनिट को विनियमों के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार सभी आवश्यक तकनीकी जांच, सुरक्षा लेखा परीक्षा तथा 72 घंटे की फुल लोड टेस्ट पूरा करने के पश्चात् दिनांक 30.09.2017 को व्यावसायिक प्रचालन में रखा गया था। इसके पश्चात यूनिट एक माह के लिए निरंतर प्रचालन में थी और इस अवधि के दौरान इसने 96.01% उपलब्धता हासिल की थी।

(ख) और (ग) : दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्य (थर्मल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा भी निम्नलिखित जांच समिति गठित की गई है:

(i) एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा जांच।
(ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं श्रम आयुक्त कानपुर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा जांच।
(iii) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा जांच।
(iv) एनएचआरसी, नई दिल्ली की समिति द्वारा जांच।
(v) जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा आदेशित मजिस्ट्रेट द्वारा जांच।

(घ) : जी, नहीं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-468

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

468. श्री अमर सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) इन गांवों में कितने घरों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उन गरीब ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर दिया है, जो बिजली के बिल का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अभी कितने गांवों में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना शेष है तथा यह कनेक्शन कब तक प्रदान किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात 2014-15 से 2016-17 के दौरान 14,528 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। विगत तीन वर्षों अर्थात 2014-15 से 2016-17 के दौरान पूरे देश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 15,840 करोड़ रूपए की सब्सिडी जारी की गई है।

(ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, विगत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 44.41 लाख बीपीएल घरों को निशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और गरीब ग्रामीणों सहित उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण करना संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटियों का मुख्य उत्तरदायित्व है। राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में तुलनात्मक रूप से कम प्रशुल्क पर बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है।

(घ) : 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे। दिनांक 30.11.2017 की स्थिति के अनुसार, 15,183 गांवों को विद्युतीकृत किए गए तथा 1,052 गांवों गैर-आबादी वाले पाए गए। सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों का 01.05.2018 तक विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-469

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

हिमाचल प्रदेश के बदिपारा विद्युत उप-केन्द्र का संवर्धन

469. श्री पि. भट्टाचार्यः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की चिरगांव तहसील के बदिपारा गांव में विद्युत उप-केन्द्र की स्थापना किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार से आठ से अधिक पंचायतों के लोगों के लाभ हेतु इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लेने के लिए कहेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक की जाएगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने 159.13 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में 12 जिलों की पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जिसमें 16 नए उप-केंद्रों का निर्माण तथा 18 उप-केंद्रों का संवर्द्धन शामिल है। शिमला जिले में चिरगांव स्थित उप-केंद्र आस-पास के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखेगा जिसमें स्थायी विद्युत आपूर्ति के लिए बदियारा गांव शामिल है। परियोजना अवार्ड की तारीख से 24 माह के भीतर पूरी की जानी है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-470

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण-नियंत्रण मानकों की अनुपालना किया जाना

470. श्री हुसैन दलवई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2017 से प्रारंभ किए गए 16 तापीय विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संयंत्रों के लिए दिसम्बर, 2015 में अधिसूचित किए गए इन विनियमों की अनुपालना करना अनिवार्य है कि सल्फर, नाइट्रोजन और पारे के विषाक्त ऑक्साइडस के उत्सर्जन की सीमाओं का ध्यान रखना होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या ये सभी संयंत्र इन विनियमों की अनुपालना कर रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) की सिफारिशों के आधार पर और विद्युत तथा पर्यावरण मंत्रालयों से परामर्श के बाद नए वायु प्रदूषण मानक निर्धारित किए गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण मानकों संबंधी सभी लागू विनियमों की अनुपालना की जाए?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : जनवरी, 2017 से चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) : जी, हाँ।

(ग) से (ङ) : 2015 में अधिसूचित किए जाने वाले कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मसौदा/प्रस्तावित पर्यावरणीय मानक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 18.03.2015 के पत्र के तहत परिचालित किए गए थे और सभी पणधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थी। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2015 के पत्र के तहत अपनी टिप्पणियां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी।

नए मानकों को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के न होने से अधिकांश संयंत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारत सभी मानकों के पूरा नहीं किए जाने की संभावना है।

नए पर्यावरणीय मानकों का शीघ्र अनुपालन करने के लिए एफजीडी संस्थापना/ईएसपी अपग्रेडेशेन के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 19.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 470 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

01.01.2017 से चालू की गईं ताप विद्युत यूनिटें

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	चालू की गई क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की वास्तविक तिथि
1	असम	नामरूप सीसीजीटी, जीटी	एपीजीसीएल	62.25	11.01.2017
2	आंध्र प्रदेश	सेम्बकॉर्प गायत्री टीपीपी (एनसीसी टीपीपी), यू-2	एसजीपीएल	660	15.02.2017
3	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी, फेज-I, यू-2	रत्न पावर	270	15.02.2017
4	महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी-II, यू-4	एनटीपीसी	660	18.03.2017
5	असम	बोंगाईगांव टीपीपी, यू-2	एनटीपीसी	250	22.03.2017
6	कर्नाटक	कुडगी टीपीपी, यू-2	एनटीपीसी	800	23.03.2017
7	गुजरात	भावनगर टीपीपी, यू-2	बीईसीएल	250	27.03.2017
8	बिहार	कांती टीपीएस, स्टे.-II, यू-4	एनटीपीसी	195	24.03.2017
9	कर्नाटक	येरमारस टीपीपी, यू-2	केपीसीएल	800	29.03.2017
10	उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार टीपीएस स्टे.-IV, यू-6	एनटीपीसी	500	31.03.2017
11	बिहार	नबी नगर टीपीपी, यू-2	एनटीपीसी और रेलवे का जेवी	250	03.04.17
12	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी, यू-1	एनटीपीसी	660	07.04.17
13	राजस्थान	छाबरा एससीटीपीपी, यू-5	आरआरवीयूएनएल	660	04.04.17
14	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I, यू-3	रत्न इंडिया नासिक पावर लि.	270	14.04.17
15	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी, यू-1	एसकेएस पावर जेनरेशन	300	25.04.17
16	छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी, यू-2	टीआरएन एनर्जी	300	18.04.17
17	महाराष्ट्र	नासिक टीपी फेज-I, यू-4	रत्न इंडिया नासिक पावर लि.	270	19.05.17
18	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I, यू-5	रत्न इंडिया नासिक पावर लि.	270	30.05.17
19	उत्तर प्रदेश	बारा टीपीपी, यू-3	प्रयागराज पावर जेनरेशन कं. लि.	660	22.05.17
20	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर टीपीपी (हल्दिया), यू-1	इंडियन एनर्जी लि.	150	07.06.17
21	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी, यू-3	आरकेएम पावरजेन प्रा. लि.	**360**	12.09.17
22	महाराष्ट्र	शीरपुर टीपीपी, यू-1	शीरपुर पावर प्रा. लि.	**150**	28.09.17
		30.11.2017 की स्थिति के अनुसार ताप विद्युत क्षमता अभिवृद्धि		**8747.25**	

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-471

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाएं

471. श्री संजय सेठः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों की दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार इन परियोजनाओं में फँसी हुई धनराशि के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, कंपनी-वार ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पांच वर्षों तक विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करते हुए दबावग्रस्त विद्युत परिसम्पत्तियों के पुनरूद्धार के लिए एक नई योजना बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी दबावग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत का उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है और प्रवर्तक अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर परियोजना प्रस्तुत करते हैं। तथापि, सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार 34 कोयला आधारित दबावग्रस्त परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। आज की तारीख तक उपलब्ध सूचना के अनुसार इन परियोजनाओं में लगी धनराशि सहित ऐसी संकटग्रस्त परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, कंपनी-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) : सरकार विद्युत क्षेत्र में दबाव का निरंतर मूल्यांकन कर रही है और विद्युत की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य पणधारियों के परामर्श से अपेक्षित उपाय कर रही है। इस संबंध में, पावर फाइनेंस

कारपोरेशन को राज्यों की कुल विद्युत मांग का पता लगाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(घ) : सरकार ने भी संकटग्रस्त/अवरुद्ध परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अवरूद्ध परियोजनाओं का पता लगाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अंतर्गत परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की स्थापना करना और इन परियोजनाओं में कार्यान्वयन अवरोधों को दूर करना शामिल है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) परियोजनाओं को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने में मदद करने के लिए निरंतर स्थल दौरों तथा विकासकर्ताओं, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अवरोध वाले क्षेत्रों की पहचान करने और अंतरमंत्रालयी और अन्य शेष मुद्दों की पहचान करने के लिए नियमित समीक्षा भी की जाती है। विद्युत मंत्रालय द्वारा संबद्ध पारेषण प्रणाली सहित चल रही ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल की स्थापना की गई है। दबावग्रस्त परियोजनाओं पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उच्च स्तर पर होने वाली "प्रगति" बैठकों में भी अपेक्षानुसार चर्चा की जाती है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 19.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 471 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

ताप विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां

क्रम सं.	विकासकर्ता	परियोजना	यूनिट	राज्य	परियोजना स्टेज (मेगावाट)		निवेश की गई राशि (ऋण + इक्विटी) (करोड़ रुपए)
					चालू की गई	निर्माणाधीन	
1	अवंथा	कोरबा वेस्ट	1	छत्तीसगढ़	600		4689
2	आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड	महादेव प्रसाद टीपीपी फेज-I	1 व 2	झारखंड	540		3377
3	ईस्ट कोस्ट एनर्जी	भवानापडु	1 व 2	आंध्र प्रदेश		1320	3670
4	एथेना छत्तीसगढ़ पावर (पी) लिमिटेड	सिंघीतराई	1 व 2	छत्तीसगढ़		1200	6224
5	अवंथा पावर (झाबुआ)	सिओनी झाबुआ	1	मध्य प्रदेश	600		4836
6	एस्सार पावर (महान) लिमिटेड	महान	1 व 2	मध्य प्रदेश	600	600	7794
7	एस्सार पावर (झारखंड) लिमिटेड	टोरी	1 व 2	झारखंड		1200	4806
8	जीएमआर एनर्जी (पी) लिमिटेड	एमको वरौरा	1 व 2	महाराष्ट्र	600		4250.5
9	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लिमिटेड	राईखेड़ा	1 व 2	छत्तीसगढ़	1370		11189
10	जीएमआर कमलंगा एनर्जी लिमिटेड	कमलंगा	1 से 3	ओडिशा	1050		6350
11	जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड (गोइंदवाल साहिब)	(गोइंदवाल साहिब)	1 व 2	पंजाब	540		4773
12	इंड बराथ एनर्जी (उत्कल) लि.	उत्कल	1 व 2	ओडिशा	350	350	4218
13	जेपी पावर वेंचर्स प्रा. लि. (बारा)	बारा	1 से 3	उत्तर प्रदेश	1980		15538
14	जेपी पावर वेंचर्स प्रा. लि. (निगरी)	निगरी	1 व 2	मध्य प्रदेश	1320	0	10023
15	जेपी पावर वेंचर्स प्रा. लि. (बीना)	बीना	1 व 2	मध्य प्रदेश	500		3518
16	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड	देरांग	1 व 2	ओडिशा	1200		6875
17	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	अकलतारा	1 से 6	छत्तीसगढ़	1200	2400	20078
18	केवीके नीलांचल पावर (पी) लिमिटेड	नीलांचल	1 से 3	ओडिशा		1050	2188
19	लैंको	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड	3 व 4	छत्तीसगढ़		1320	10272
20	लैंको	लैंको अनपरा सी	1 व 2	उत्तर प्रदेश	1200		4040
21	लैंको	लैंको विदर्भा थर्मल पावर लिमिटेड	1 व 2	महाराष्ट्र		1320	5684
22	लैंको	लैंको बाबंध पावर लिमिटेड	1 व 2	ओडिशा		1320	7990
23	मधुकोन	सिम्हापुरी एनर्जी लि. (फेज-I व II)	1 से 4	आंध्र प्रदेश	600		3241
24	मोनेट पावर कंपनी लिमिटेड	मलीब्राहमणी	1 व 2	ओडिशा		1050	6373
25	रत्नइंडिया नासिक पावर लिमिटेड फेज-1	नासिक टीपीपी फेज-I	1 से 5	महाराष्ट्र	1350		9541
26	आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	उचपिंडा टीपीपी	1 से 4	छत्तीसगढ़	1080	360	11733
27	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	बिंजकोट टीपीपी	1 से 4	छत्तीसगढ़	300	900	5663
28	वंदना विद्युत लिमिटेड	सलोरा टीपीपी	1 व 2	छत्तीसगढ़	135	135	2030
29	वीसा पावर लिमिटेड	देवेरी टीपीपी	1 व 2	छत्तीसगढ़	0	1200	1908
30	दामोदर वैली कारपोरेशन	रघुनाथपुर टीपीपी	1 व 2	पश्चिम बंगाल	1200	0	4944
31	कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	मुजफ्फरपुर टीपीपी	3 व 4	बिहार	390	0	3783
32	अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड	तिरोरा टीपीपी फेज-I व II	1 से 5	महाराष्ट्र	3300	0	16791
33	कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड	मुतियारा टीपीपी	1 व 2	तमिलनाडु	1200	0	7368
34	डीबी पावर लिमिटेड	बारादरहा	1 व 2	छत्तीसगढ़	1200	0	8887
					24405	**15725**	**234644.5**
					40130		

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-472

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

मुक्त व्यापार विद्युत प्रशुल्क को कम करने के उपाय

472. श्री अनिल देसाई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दो माह में घरेलू कोयला आपूर्ति में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या मुक्त बाजार में विद्युत प्रशुल्क लगातार अधिक बना हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा बढ़ी हुई कोयला आपूर्ति की पृष्ठभूमि में मुक्त बाजार विद्युत प्रशुल्क को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी हाँ, विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयला आपूर्ति गत दो माह, अर्थात सितंबर, 2017 में 41.8 मिलियन टन (एमटी) से नवंबर, 2017 में बढ़कर 46.7 एमटी हो गई है।

(ख) : जी नहीं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) से प्राप्त सूचना के अनुसार, औसत खुला बाजार प्रशुल्क सितंबर, 2017 के दौरान 4.09 रुपए/यूनिट से नवंबर, 2017 के दौरान घटकर 3.55 रुपए/यूनिट हो गया है। दिसंबर, 2017 (दिनांक 15 दिसंबर तक) के दौरान लगभग 3 रुपए/यूनिट तक की और अधिक कमी हुई है।

(ग) : अन्य बातों के साथ-साथ खुला बाजार विद्युत प्रशुल्क को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित हैं:

(i) विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले की उपलब्धता बढ़ाना। इसके साथ ही विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के आयात में कमी आई है। वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2017 से नवंबर, 2017) के दौरान विद्युत संयंत्रों द्वारा आयात किया गया कोयला गत वर्ष (अप्रैल, 2016 से नवंबर, 2016) की इसी अवधि के दौरान 44.73 मिलियन टन की तुलना में 38.79 मिलियन टन था जिससे आयात में 13.28 प्रतिशत की कमी आई। कोयले के आयात में कमी से विद्युत प्रशुल्क को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, घरेलू कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों में विद्युत की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है जिससे बाजार में इस प्रकार की और अधिक बोलियां लगी हैं।

(ii) सरकार विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विद्युत उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में फ्लेक्सिबिलिटी शुरू की है। राज्य/केंद्रीय जेनको में अपने स्वयं के विद्युत संयंत्रों में इष्टतम और लागत प्रभावी तरीके से अपने कोयले का उपयोग करने तथा सस्ती विद्युत के उत्पादन के लिए अन्य राज्य/केंद्रीय जेनको विद्युत संयंत्र को कोयले के हस्तांतरण की फ्लेक्सिबिलिटी है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-473

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

एन टी पी सी द्वारा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन

473. श्री टी. रतिनावेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एन टी पी सी ने 2015-16 में प्राप्त किए गए 262.42 बीयू विद्युत उत्पादन के कीर्तिमान को पार करते हुए वर्ष 2016-17 में अब तक का सर्वाधिक 263.95 बी यू वार्षिक संचयी सकल विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एन टी पी सी ने वर्ष 2015-16 की तुलना में 4.71 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि एन टी पी सी ने विश्व की अग्रणी विद्युत कंपनी बनने और भारत के विकास को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हाँ, एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों सहित वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्पादित 263.422 बीयू से आगे बढ़ते हुए, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 276.774 बीयू का अब तक का सबसे अधिक रिकार्ड वार्षिक संचयी सकल विद्युत उत्पादन किया है और वर्ष 2015-16 की तुलना में 5.07 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। अकेले एनटीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्पादित 241.977 बीयू से आगे बढ़ते हुए, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3.45 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि से 250.314 बीयू उत्पादन किया है।

(ग) : जी हाँ। एनटीपीसी का विजन विश्व की अग्रणी विद्युत कंपनी बनना और भारत के विकास को ऊर्जा प्रदान करना है। इसे हासिल करने के लिए एनटीपीसी ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों सहित विविधीकृत ईंधन मिक्स से 2032 तक 130 गीगावाट की कंपनी बनने के लिए दीर्घकालीन निगमित योजना तैयार की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-474

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में ए-पीडीआरपी का कार्यान्वयन

474. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए-पीडीआरपी) के अन्तर्गत विद्युत भूमिगत केबल बिछाने का कार्य प्रारंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो विल्लुपुरम शहर सहित तमिलनाडु के विभिन्न मेट्रो/टाउन/शहरों में प्रारंभ किए गए भूमिगत विद्युत केबल बिछाने की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), अब समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) में समाहित, के भाग ख के अंतर्गत तमिलनाडु के 88 नगरों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 2,841 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं। तमिलनाडु के 15 नगरों में कुल 1,318 किलोमीटर लंबी एवं 420.61 किलोमीटर लंबाई की एचटी एवं एलटी भूमिगत केबल का कार्य पूरा हो चुका है। आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत विल्लुपुरम में कोई भूमिगत केबलिंग कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-475

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत नीति

475. श्री दिलीप कुमार तिर्कीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की अनुमानित जल विद्युत क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी जल विद्युत क्षमता को बढ़ाया गया है;

(ग) क्या देश मे कोई जल विद्युत नीति विद्यमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1987 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, संस्थापित क्षमता (आईसी) की दृष्टि से जल विद्युत क्षमता का अनुमान 1,48,701 मेगावाट लगाया गया है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) के दौरान 3911 मेगावाट जल विद्युत क्षमता जोड़ी गई है।

(ग) और (घ) : जी हाँ, सरकार ने 31.03.2008 को जल विद्युत नीति, 2008 जारी की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-476

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों की आयातित कोयले पर निर्भरता

476. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में कई विद्युत संयंत्र आयातित कोयले पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन विद्युत संयंत्रों की आयातित कोयले पर निर्भरता दूर करने तथा घरेलू स्तर पर उत्पादित कोयले का प्रयोग करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : जी**,** हाँ। कुछ विद्युत संयंत्रों को आयातित कोयले पर प्रचालन के लिए तैयार किया गया है, अतः घरेलू कोयले पर उनको प्रचालित करने में कई तकनीकी बाधाएं है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को विद्युत संयंत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयातित कोयले पर तैयार किए गए कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ विद्युत संयंत्र घरेलू कोयले के साथ मिश्रण के लिए आयातित कोयले का इस्तेमाल करते हैं।

कोयला मंत्रालय ने मई, 2017 में विद्युत क्षेत्र-2017 शक्ति नीति के लिए नई कोयला लिंकेज नीति जारी की है। इस नीति के खण्ड (ख)(vii) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को पूर्ण लागत बचत देने के साथ ही आयातित कोयले के आधार पर विद्युत क्रय करारों (पीपीए) वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को बोली प्रक्रिया के माध्यम से कोयला लिंकेज के आबंटन का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं जो आयातित कोयले पर परिकल्पित थीं और जो अब घरेलू कोयले के उपयोग का प्रस्ताव करती है, उन्होंने घरेलू कोयला लिंकेज प्रदान किए जाने के लिए अनुरोध किया है। इन अनुरोधों पर शक्ति नीति के खण्ड (ख)(i) के अंतर्गत विचार किया जाता है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 19.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 476 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आयातित कोयला संबंधी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र

क्रम सं.	**संयंत्र का नाम**	**क्षमता (मेगावाट)**	**यूटिलिटी**
1.	सिक्का टीपीएस	500	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड
2.	ट्रॉम्बे टीपीएस	1250	टाटा पावर
3.	रत्नागिरी	1200	जेएसडब्ल्यू एनर्जी
4.	टोरंगुल्लू	860	जेएसडब्ल्यू एनर्जी
5.	मुंद्रा टीपीएस*	4620	अदानी पावर
6.	उडुपी टीपीएस	1200	अदानी पावर
7.	मुंद्रा यूएमपीपी	4000	कोस्टल गुजरात पावर लि.
8.	सलाया टीपीएस	1200	एस्सार
9.	सिम्हापुरी टीपीएस	600	सिम्हापुरी एनर्जी
10.	थामिनापट्टनम टीपीएस	300	मीनाक्षी एनर्जी
11.	मुतियारा टीपीएस	1200	कोस्टल एनर्जेन
12.	आईटीपीसीएल-कुड्डालोर	1200	आईएल एंड एफएस

(*: 4620 मेगावाट में से 1980 मेगावाट 70:30 ब्लैंडिंग अनुपात पर डिजाइन की गई है)

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-477

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु निवारक उपाय

477. श्री हरिवंशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय की देश में विभिन्न ताप विद्युत परियोजनाओं की तीसरे पक्ष द्वारा सुरक्षा लेखा-परीक्षा प्रारंभ करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ताप विद्युत संयंत्र दुर्घटना मुक्त हों?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : ताप विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के लिए कई अधिनियम और विनियम अधिनियमित किए गए हैं। इनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वैद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा मांग) विनियम, 2011, इंडियन बॉयलर अधिनियम, 1923, इंडियन बॉयलर विनियम, 1950, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 शामिल है। कारखाना अधिनियम, 1948 में कारखानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान भी हैं।

'शून्य दुर्घटना' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं -

- गत वर्ष सुरक्षा नीति संशोधित की गई है और सुरक्षा को एनटीपीसी की कोर वेल्यू एक भाग बनाया गया है।
- व्यावसायिक स्थिति और सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए नियमित आधार पर सभी स्थलों पर संविदाकार के कर्मचारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- प्रचालन संयंत्रों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए क्रॉस फंक्शनल सेफ्टी टास्क फोर्स को सभी परियोजनाओं/स्टेशनों की निगरानी करने और कार्यकारी स्थितियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है।
- सुरक्षा अधिकारियों और बाह्य (थर्ड पार्टी) सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा समय-समय पर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिए की जाती है।
- प्रचालन संयंत्रों में सभी प्रकार के रख-रखाव कार्यों के लिए जांच सूचियों एवं प्रारूपों के साथ कार्य प्रणाली के लिए परमिट है और सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।
- सभी प्रचालन केंद्रों पर स्थल पर आपातकाल का शीघ्र पता लगाने और उनमें कमी लाने के लिए प्रभावी नियंत्रण प्रणालियां उपलब्ध है।
- सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सभी केंद्रों पर विस्तृत आपातकाल योजनाएं तैयार की गई है। सभी संबंधितों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जिम्मेदारियां दी गई है।

- प्रणालियों की स्थिति की जांच करने के लिए नियमित मॉक ड्रिल की जाती है और किसी भी अनियमितता को तत्काल सुधारा जाता है।
- संविदा की सामान्य शर्तों में सख्ती से अनुपालना के लिए सुरक्षा मानकों को शामिल किया जाता है।
- आपदा प्रबंधन योजना संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं।
- संरक्षा संस्कृति अंतर्निविष्ट करने के लिए कार्यस्थलों के विभिन्न संवेदनशील केंद्रों पर विभिन्न पोस्टर/होर्डिंग के माध्यम से विभिन्न संदेश/अनुदेश दर्शाए जाते हैं। कर्मचारियों ठेकेदारों के कर्मचारियों और समीपवर्ती ग्रामीणों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं और अभियानों का आयोजन किया जाता है।
- कार्यस्थल पर कामगारों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। कार्यस्थल के जोखिमों के बारे में जागरूक बनाने हेतु स्थल के कामगारों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षणों और जाशीली वार्ताएं की जाती हैं।
- किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला, राज्य प्राधिकारियों तथा समीपवर्ती उद्योगों के परामर्श से आपदा प्रबंधन योजना और आपातकालीन कार्य योजनाएं तैयार की गई है।

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी लि. की निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों/परियोजनाओं में तृतीय पक्ष सुरक्षा लेखा परीक्षा की गई है:

क्रम सं.	स्टेशन/परियोजना का नाम	राज्य	तृतीय पक्ष सुरक्षा लेखा परीक्षा	
			को आयोजित की गई	एजेंसी का नाम
1	बदरपुर	दिल्ली	16.12.16	डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (डीएमआई), भोपाल
2	दादरी	उत्तर प्रदेश	03.11.17	सेंटर फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा
3	रामागुंडम	तेलंगाना	24.03.17	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
4	सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	04.02.17	क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया, हैदराबाद
5	तालचर थर्मल	ओडिशा	26.10.17	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
6	तालचर कनीहा	ओडिशा	22.02.16	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
7	बोंगाईगांव	असम	23.01.15	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
8	फरक्का	पश्चिम बंगाल	06.06.17	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली
9	बाढ़	बिहार	25.08.17	एस. एस. इंटरप्राइजेज, पटना
10	कहलगांव	बिहार	10.06.16	क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया, हैदराबाद
11	रिहंद	उत्तर प्रदेश	27.08.16	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
12	टांडा	उत्तर प्रदेश	30.12.16	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
13	ऊंचाहार	उत्तर प्रदेश	22.01.16	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
14	सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	07.09.17	डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (डीएमआई), भोपाल
15	विंध्याचल	मध्य प्रदेश	18.02.17	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
16	सीपत	छत्तीसगढ़	27.04.17	डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (डीएमआई), भोपाल
17	कोरबा	छत्तीसगढ़	20.05.16	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
18	लारा	छत्तीसगढ़	17.03.16	डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (डीएमआई), भोपाल
19	सोलापुर	महाराष्ट्र	27.08.16	क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया, हैदराबाद
20	मौदा	महाराष्ट्र	26.08.16	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
21	कुडगी	कर्नाटक	12.03.16	क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया, हैदराबाद
22	गदरवारा	मध्य प्रदेश	13.10.17	नेशनल सेफ्टी काउंसिल (एनएससी), मुंबई
23	नॉर्थ करणपुरा	झारखंड	20.05.16	भारत इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट, रांची

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-478

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत गावों का विद्युतीकरण

478. श्री मेघराज जैनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत देश के विशेषतः मध्य प्रदेश के गांवों में किए गए विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन गांवों में इस योजना के अंतर्गत व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे गांवों की संख्या/बस्तियों की संख्या को सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां लक्ष्य निर्धारित करने हेतु विद्युतीकरण का कार्य अभी किया जाना बाकी है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत वित्तीय वर्ष अर्थात् 2016-17 के दौरान मध्य प्रदेश के 159 गाँवों सहित 6015 जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में है।

(ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत निधि राशि के उपयोग की सूचना तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किश्तों में जारी की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 7934 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। राज्यवार ब्यौरे **अनुबंध-II** में हैं।

(ग) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-III** में है। सभी गैर-विद्युतीकृत गाँवों को 01.05.2018 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 19.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	**राज्य**	**गांवों की संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	175
2	असम	1218
3	बिहार	556
4	छत्तीसगढ़	294
5	हिमाचल प्रदेश	27
6	जम्मू व कश्मीर	5
7	झारखंड	1104
8	कर्नाटक	14
9	मध्य प्रदेश	159
10	मणिपुर	121
11	मेघालय	681
12	मिजोरम	24
13	नागालैंड	76
14	ओडिशा	1092
15	राजस्थान	263
16	त्रिपुरा	17
17	उत्तर प्रदेश	162
18	उत्तराखंड	18
19	पश्चिम बंगाल	9
कुल		**6015**

****

<u>अनुबंध-II</u>

राज्य सभा में दिनांक 19.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी किए गए अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**करोड़ रुपए में**
1	आंध्र प्रदेश	128.37
2	अरुणाचल प्रदेश	101.33
3	असम	598.34
4	बिहार	1292.02
5	छत्तीसगढ़	125.91
6	गुजरात	110.41
7	झारखंड	326.78
8	कर्नाटक	144.95
9	केरल	134.31
10	मध्य प्रदेश	420.60
11	महाराष्ट्र	256.62
12	मणिपुर	36.05
13	मेघालय	25.51
14	मिजोरम	13.94
15	नागालैंड	21.44
16	ओडिशा	1079.20
17	राजस्थान	349.32
18	तमिलनाडु	110.34
19	तेलंगाना	27.02
20	त्रिपुरा	77.63
21	उत्तर प्रदेश	2264.51
22	उत्तराखंड	16.10
23	पश्चिम बंगाल	271.95
24	पुडुचेरी	1.20
	सकल योग	**7934**

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 19.12.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का राज्य-वार ब्यौरा		
क्रम सं.	**स्थिति**	**01.04.2015 की स्थिति के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांव**
1	अरुणाचल प्रदेश	1578
2	असम	2892
3	बिहार	2747
4	छत्तीसगढ़	1080
5	हिमाचल प्रदेश	35
6	जम्मू व कश्मीर	134
7	झारखंड	2525
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	472
10	मणिपुर	276
11	मेघालय	912
12	मिजोरम	58
13	नागालैंड	82
14	ओडिशा	3474
15	राजस्थान	495
16	त्रिपुरा	26
17	उत्तर प्रदेश	1529
18	उत्तराखंड	76
19	पश्चिम बंगाल	22
कुल		**18452**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-479

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

ग्रामीण भारत में सभी के लिए विद्युत योजना

479. श्रीमती अम्बिका सोनीः

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण भारत में सौभाग्य अभियान, 'सभी के लिए विद्युत' योजना प्रारंभ की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और दिसम्बर, 2018 तक कितने गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार की दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों में सौर उर्जा पैक प्रदान करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित घरों में एलईडी लाइटें और पंखे भी वितरित किए जाएंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने भारत सरकार की 12,320 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की है। इस स्कीम का उद्देश्य उन सभी घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करना है जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है और सभी आवासों/घरों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार किए गए हैं।

(ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत 3 वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान 14,528 गाँवों को विद्युतीकृत किया गया है। देश में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों को दिनांक 01.05.2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और सौभाग्य के अंतर्गत दूर-दराज के और गैर-पहुँच वाले क्षेत्रों में, जहाँ सामान्य ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, को विद्युत पैक वाली सोलर स्टैंड एलोन प्रणालियों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध करा रही है। दूर-दराज के क्षेत्र में प्रत्येक घर को एक निःशुल्क सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम देने की परिकल्पना की गई है जिसमें बैटरी बैक वाले 200-300 डब्ल्यूपी सोलर पैनल, अधिकतम 5 एलईडी लाइटें, 1 डीसी फैन और सॉकेट शामिल हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-480

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

480. श्री दर्शन सिंह यादवः

श्री पि. भट्टाचार्यः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा समग्र ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कितनी प्रगति की गई है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक अनुमोदित की गई और लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी;

(घ) राज्यों में सभी संस्वीकृत और लंबित योजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ङ) विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँव थे। इन गाँवों में से 30 नवंबर, 2017 तक 15,183 गाँव विद्युतीकृत किए गए हैं तथा 1,052 गाँव गैर-आबादी वाले थे। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकरण के लिए पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण घटक सहित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 1,08,528.27 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। पूर्व की किश्तों में राशि की उपयोग कर लिए जाने तथा अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन निधि जारी की जाती है। शेष सभी गैर-विद्युतीकृत गाँवों को 01 मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ङ) : परियोजनाएं संस्वीकृत लागत के भीतर पूरी किए जाने की संभावना हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परियोजना लागत में वृद्धि होने की स्थिति में अतिरिक्त लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन की जाती है।

****